

न्यायालय सिविल जज (जू0डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोंठ जनपद झाँसी

परिवाद संख्या-764 / 2014

जे0ओ0कोड-यू0पी0 3567

उपस्थित:- शुभम चौधरी (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

श्रीमती मीराबाई

बनाम

रामकिशोर आदि

परिवाद सं0-764 / 2014

धारा-323,504,506 भा0दं0सं0

थाना-शाहजहाँपुर,

जिला-झाँसी

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्ता राजकुमारी न्यायालय उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमा समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

स्वतः जुर्म स्वीकार के आधार पर अभियुक्ता को धारा- 323,504,506 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषी पाया जाता है और दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्ता को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्ता को दण्ड के प्रश्न पर पृथक से सुना जायेगा।

(शुभम चौधरी)

जे0एम0, मोंठ, झाँसी

अभियुक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वह स्वेच्छा से आरोप पत्र में वर्णित सभी धाराओं में जुर्म इकबाल करना चाहते है, जिस कारण उसे कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मामला वर्ष 2014 से विचाराधीन है। अभियुक्ता जुर्म स्वीकार कर न्यायालय का कार्य आसान किया है। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति तथा उसकी उम्र को दृष्टिगत रखते हुये उसे स्वतः जुर्म स्वीकार के आधार पर धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा अभियुक्त को मु0 700/रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्ता राजकुमारी को उसके स्वतः जुर्म स्वीकार के आधार पर परिवाद संख्या 764/2014, श्रीमती मीराबाई बनाम रामकिशोर आदि के प्रकरण में अभियुक्ता को धारा 323 भा0दं0सं0 के अपराध के लिये सिद्धदोष पाते हुये 200/रुपये (दो सौ रुपये), धारा 504 भा0दं0सं0 के अपराध के लिये सिद्धदोष पाते हुये 200/रुपये (दो सौ रुपये), व धारा 506 भा0दं0सं0 के अपराध के लिये सिद्धदोष पाते हुये 300/रुपये (तीन सौ रुपये) के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 30 दिन की साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी।

दिनांक- 19.01.2026

(शुभम चौधरी)

जे0एम0, मोंठ, झाँसी।

जे.ओ.कोड 3567

उक्त निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक- 19.01.2026

(शुभम चौधरी)

जे0एम0, मोंठ, झाँसी।

जे.ओ.कोड 3567